

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

मैनुअल-13

रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में
विवरण

Manual-13

**Particulars Of Recipients Of Concessions, Permits Or
Authorization Granted By It**

13.1 रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण :-

लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन सड़कों पर स्थित ऐसे समस्त स्थायी पुलों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है या समय-समय पर अधिसूचित कर दिया जाता है, कोई भी निजी गाड़ी का स्वामी पथकर की निर्धारित दर की सात गुनी धनराशि देकर मासिक पास प्राप्त कर सकता है। यह रियायत टैक्सियों, टैम्पों, मिनी बस, ट्रकों और बसों के लिये उपलब्ध नहीं होगी।

